

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 1979/फाल्गुन 18, 1900
No. 111] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 1979/ PHALGUNA 18, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य माणरिक आपूर्ति एवं सहायिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आवेष

निर्यात नियंत्रण आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1979

क्र. आ. 131(अ) सं. ई(सी)ओ, 1977/ए एम(103).—आयात-निर्यात (नियंत्रण)
अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए
केंद्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आवेष, 1977 में आगे संशोधन करने
के लिये आदेश की रचना करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) उन्नीसवां संशोधन आवेष 1979 की संज्ञा
दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1977, में खूले सामान्य लाइसेंस 3 में उपक्रम संख्या 5, क्रम संख्या 28 के सामने विद्यमान लिखित प्रविष्टि हटा दी जाएगी —:

“क्र. सं. 28.5 नौएल तथा नौएल ड्रॉपिंग्स” ।

[मिसिल सं. 2/1/78-ई-1]

क. व. शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 9th March, 1979

S.O. 131(E).—No. E(C) O, 1977/AM (103).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Nineteenth Amendment Order, 1979.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in CGL-3, the following entry appearing against Sub S. No. 5 of S. No. 28 shall be deleted :—

“S. No. 28.5—Noil and Noil droppings”.

[File No. 2/1/78-EI]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports